

**Duplicate Copy**

18-Jun-2022

**आदेश**

तिथि

Jan 25 2022

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा सरायढेला थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
241	2985	0 एकड़, 5.5 डिसमील, 0 हेक्टर

**का बिक्रेता**

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
BRAJ BHUSHAN SHARMA	पिता	LATE YADU NANDAN SHARMA
BIVA RANI SHARMA	पति	BRAJ BHUSHAN SHARMA

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 6218 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ब्रज भुषण शर्मा, बिभा रानी शर्मा	पिता	स्व यदु नंदन शर्मा पति ब्रज भुषण शर्मा

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **10रुपये**  
**स्वीकृत**

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRASANT KUMAR LAYAK  
अंचलाधिकारी धनबाद